



4851

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तरप्रदेश

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

पत्रांक : 10779/28/76/एक/2018-19  
सेवा में,

दिनांक : 18 फरवरी 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-फिरोजाबाद।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएसी कोड	धनराशि
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	30304503371	IFSC Code SBIN0004052	146.276

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	फिरोजाबाद	म0ब0-83	न0नि0 फिरोजाबाद	मो0 दतौजी कला में गजराज सिंह से रामहरी, नरायन सिंह से वीरपाल, श्रीकृष्ण से रेशमादेवी नन्दकिशोर से भगवानदास, भगवानदास से रामभजन, जैसीराम से पप्पू, पप्पू से हरगोविन्द, हरगोविन्द से सन्तोष, पप्पू से बदन सिंह, राकेश से जैसीराम, भगवानदास से भागीरथ, मातादीन से देवलाल, शरमन से बाबूराम, भगवान सिंह से अमीर सिंह एवं अमीर सिंह से केदार सिंह तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	19.142	50%
2	फिरोजाबाद	म0ब0-83	न0नि0 फिरोजाबाद	मो0 दतौजी कला में राधाकिशन से गजराज सिंह, विश्नू से कमल सिंह, विश्नू से पप्पू, सियाराम से ऊदल सिंह, भोजराज से गन्धर्व सिंह, भूदेव से हाकिम सिंह, धर्मपाल से कालीचरन, भजनविहारी से देवदत्त, छोटेलाल से नाथूराम, भगवती से अद्यादेवी एवं नेकसेराम से पथवारी मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	19.369	50%
3	फिरोजाबाद	म0ब0-83	न0नि0 फिरोजाबाद	मो0 नगला विश्नू के अन्तर्गत गनेसीलाल से मुन्नालाल, विजय सिंह से संजय, वीरेन्द्र से गीता देवी, मुकेश से मनोज, रमेश शास्त्री से सियाराम, दामोदर से गोविन्द एवं महेश के मकान से बिजली पारी के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	20.325	50%



५४८१२

# राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०

७/२३, सेक्टर-७, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-२२६०२७

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
४	फिरोजाबाद	म०ब०-८३	न०पा०प० टूण्डला	मो० टूण्डली में रनवीर सिंह से कामता प्रसाद पुरुषोत्तम से अमरनाथ, अमरनाथ से देवी दयाल से जयवीर महेश से पवन कुमार, राजेन्द्र से जयन्ती प्रसाद, कमल सिंह से अमर सिंह एवं कमल सिंह से रामसेवक तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	20.112	50%
५	फिरोजाबाद	म०ब०-८३	न०नि० फिरोजाबाद	मो० नगला विश्नु में डब्बू के मकान से शिकारी सिंह, राजेन्द्र से भोले, रामपाल से रमेश, रमेश से करन सिंह, दिनेश से करन सिंह, राकेश से राम सिंह, राम सिंह से कालीचरन, चन्द्र प्रकाश से अमर सिंह एवं अमर सिंह से पप्पू के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	23.230	50%
६	फिरोजाबाद	म०ब०-८३	न०प० एका	मो० नगला में राकेश से विकरी, बबलू से दिनेश, लज्जाराम से धर्मेन्द्र, राकेश से राम नरेश से प्रेमपाल, प्रभुदयाल से दौजीराम, बृजेश से रमाकान्त एवं रामकुमार से वहीद खाँ के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	17.274	50%
७	फिरोजाबाद	म०ब०-८३	न०प० एका	मो० नगला में श्याम सिंह के मकान से सुखराम सिंह, कौशल से गिरीश राजेन्द्र से रामवीर, वीरेश चन्द्र से राजकुमार, वीरेश से महिपाल, राजवीर से राजकुमार, महिपाल से प्रेमपाल तालेवर से पार्क तक जगदीश से लाखन, रामजीलाल से सपना इस्माइल रो कल्लू धर्मपाल से याकूब खाँ एवं सुरेश से मरिजद तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	26.824	50%
	योग				146.276	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- १- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- २- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रवीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



4853

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7 / 23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि डूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीप,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक